

आदेश व इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार सोनी आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
प्रकरण संख्या 66/2025 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

टाटा केपिटल हाऊसिंग फाईनेन्स लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय- ग्यारहवीं मंजिल, टॉवर ए,
पेनिनसुला बिजनेस पार्क, गणपतराव कदम मार्ग, लोअर पारेल, मुम्बई।

प्रार्थी वित्तीय संस्था

बनाम

1. श्री ओमप्रकाश यादव पुत्र श्री केदारनाथ यादव,
पता:- फ्लेट नं. एस-04, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी-51, ग्राम हाथोज, मंगलम सिटी, ब्लॉक
सी, कालवाड़ रोड़, जयपुर।
अन्य पता:- पोस्ट बॉक्स 789, आरयूडब्लूआई, पोस्टल कोड 112, मस्कट, ओमान।
अन्य पता:- हाऊस नं. 234, ग्राम सुरवालिया, पी. ओ. बरहन गोपाल, पी. एस. बारहरिया, सिवान,
बिहार।
अन्य पता:- शापूर जी पल्लोनजी मिडवेस्ट (एलएलसी) ऑफिस नं. 102 और 104, प्रथम तल,
बिल्डिंग नं. 64, पी.सी. 130, अल अनवर स्ट्रीट, अल अजैबा, मस्कट, सल्तनत ऑफ ओमान,
मस्कट, ओमान।
2. श्रीमती रेणू देवी पत्नी श्री ओमप्रकाश यादव,
पता:- फ्लेट नं. एस-04, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी-51, ग्राम हाथोज, मंगलम सिटी, ब्लॉक
सी, कालवाड़ रोड़, जयपुर।
अन्य पता:- हाऊस नं. 234, ग्राम सुरवालिया, पी. ओ. बरहन गोपाल, पी. एस. बारहरिया, सिवान,
बिहार।
3. श्री देवेन्द्र कुमार सोनी पुत्र श्री संतोष कुमार सोनी,
पता:- फ्लेट नं. टी-4, तृतीय तल, प्लॉट नं. सी-24, मंगलम सिटी, कालवाड़ रोड़, जयपुर।
अन्य पता:- पोस्ट बॉक्स 789, आरयूडब्लूआई, पोस्टल कोड 112, मस्कट, ओमान।
फ्लेट नं. एस-04, द्वितीय तल, प्लॉट नं. सी-51, ग्राम हाथोज, मंगलम सिटी, ब्लॉक सी,
कालवाड़ रोड़, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

The application under section 14 of The Securitisation and
Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security
Interest Act, 2002

प्रार्थना पत्र:- श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता प्रार्थी वित्तीय संस्था की ओर से।

आदेश

दिनांक 27.01.2025

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी वित्तीय संस्था ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक
10.01.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में अप्रार्थी श्रीमती रेणू देवी के
स्वामित्व की सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-51, योजना मंगलम सिटी, सी- ब्लॉक, ग्राम हाथोज,
कालवाड़ रोड़, जयपुर पर स्थित ए. जी. हाईट्स के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट संख्या
एस-4, कुल क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट को बंधक रख कर कुल राशि 17,50,299/-रुपये की
ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण
भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को
दिनांक 15.10.2024 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गए। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद
ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitization
and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest
Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का


जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

- भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं प्रस्तुत दस्तावेजों का गलीगालि अवलोकन किया गया।
3. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी वित्तीय संस्थान ने अप्रार्थीगणों को कुल राशि 17,50,299/-रुपये का ऋण दिया है, जिसकी प्रतिगूति जमानत के रूप में अप्रार्थीगण ने उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति बन्धक/हाईपोथिकेशन के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पास गिरवी रखी है। अप्रार्थीगण का ऋण खाता एन पी ए घोषित होने से नियमानुसार ऋण वसूली के लिए बकाया ऋण राशि 14,09,761/-रुपये की ऋण सुविधा जमा कराने हेतु अप्रार्थीगण को दिनांक 15.10.2024 को अधिनियम की धारा 13(2) के अधीन रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया, अप्रार्थीगण द्वारा उक्त नोटिस का वित्तीय संस्था को कोई जवाब नहीं दिया गया और अप्रार्थीगण द्वारा वित्तीय संस्था को बकाया ऋण राशि का भुगतान भी नहीं किया गया है। प्रकरण में वसूली योग्य बकाया राशि एक लाख रुपये से अधिक होने एवं 20 प्रतिशत से अधिक राशि बकाया होने से अधिनियम के प्रावधानों के तहत वित्तीय संस्था बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति को कब्जा प्राप्त करने की अधिकारी है एवं अधिनियम की धारा 14 के तहत वित्तीय संस्था के पक्ष में बन्धक/हाईपोथिकेटेड रखी गई सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। प्राधिकृत अधिकारी ने धारा 14 के समर्थन में आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया है।
4. अतः The Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी श्रीमती रेणू देवी के स्वागित्व की बन्धक सम्पत्ति प्लॉट नं. सी-51, योजना मंगलम सिटी, सी- ब्लॉक, ग्राम हाथोज, कालवाड़ रोड़, जयपुर पर स्थित ए. जी. हाईट्स के द्वितीय तल पर स्थित फ्लेट संख्या एस-4, कुल क्षेत्रफल 1050 वर्गफीट का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये सम्बन्धित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।
7. आदेश की प्रति संबंधित पुलिस उपायुक्त जयपुर शहर/पुलिस अधीक्षक जयपुर ग्रामीण को भेज कर लिखा जावे कि उक्त सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को प्राप्त करने में सहयोग कर वित्तीय संस्था को दिलाने हेतु संबंधित थानाधिकारी को निर्देशित करे एवं पालना रिपोर्ट भिजवाने हेतु पाबन्द करे। आदेश की प्रति हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
- आदेश आज दिनांक 27.01.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ. पितेन्द्र कुमार सोनी)

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर